न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 85 दिनांक 12-2-21

मुकदमा नंबर 132/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.दुर्गसिंह पुत्र गोपसिंह जाति राजपुरोहित 2.हमीरसिंह पुत्र गोपसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान केलनकोट तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1.किषनसिह पुत्र मुकनासिंह जाति राजपुरोहित 2.नारायणसिंह पुत्र मुकनासिंह जाति राजपुरोहित 3.तेजसिंह पुत्र मुकनासिंह जाति राजपुरोहित 4.भुरसिंह पुत्र मुकनासिंह जाति राजपुरोहित 5.मानीदेवी पत्नि मुकनसिंह जाति राजपुरोहित 6. पार्वतीदेवी पत्नि श्री उमेंदसिंह जाति राजपुरोहित 7.महावीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित नाबालिक कुदरती वली माता पार्वतीदेवी पत्नि श्री उमेंदसिंह जाति राजपुरोहित 8.जगमाल सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित नाबालिक कुदरती वली माता पार्वतीदेवी पत्नि श्री उमेंदसिंह जाति राजपुरोहित 9.चम्पसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुत 10चैनसिंह पुत्र दिपसिंह जाति राजपुत 11.खुषालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुत 12चुतरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुत 13घेवरसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपुत 14.तुलसासिह पुत्र बुलसिंह जाति राजपुरोहित 15.दौलसिंह पुत्र बुलसिंह जाति राजपुरोहित 16बाबुसिंह पुत्र बुलसिंह जाति राजपुरोहित 17जसराजसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपुरोहित 18श्री हल्का पटवारी सिमरखिया 19 तहसीलदार पचपदरा

आदेश दिनाक

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा केलनकोट पटवार हल्का सिमरखिया में खसरा नंबर 165 रकबा 36.12 बीघा सहरद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 86-90 दिनाक 12-2-21

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर [illegible] अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना [illegible] को पालना हेतु
3. पटवारी सिमरखिया पटवार क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा जिला [illegible] को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित [illegible] की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण दुर्गसिंह पुत्र गोपसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान केलनकोट तहसील पचपदरा जिला
5. विप्रार्थीगण किषनसिह पुत्र मुकनासिंह जाति राजपुरोहित वगै.

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 19:03:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner